भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1416**

**04 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न**

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन**

**1416. श्री राहुल कस्वां:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए कोई तंत्र बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रसोई गैस या धुंआरहित ईंधन उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)**

**(क):** खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने चरण-I (2018-20) और चरण-II (2020-23) के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के कार्यान्वयन का समवर्ती मूल्यांकन करने के लिए प्रतिष्ठित निगरानी संस्थानों (एमआईएस) को नियुक्त किया। एमआईएस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टें https://nfsa.gov.in/portal/Concurrent_Evaluation पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

**(ख):** प्रौद्योगिकी संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के भाग के रूप में, पीडीएस की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाने के उद्देश्य से और खाद्यान्नों के लीकेज और डायवर्जन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डेटाबेस को पूर्णत: डिजिटाइज कर दिया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर को लागू कर दिया गया है।

...2/-

इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (संघ राज्य क्षेत्रों चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों को छोड़कर जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण स्कीम को अपना लिया है) में ऑनलाइन आबंटन लागू कर दिया गया है तथा 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन के माध्यम से खाद्यान्नों के पारदर्शी (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) वितरण के लिए ईपीओएस उपकरण संस्थापित करके देश में कुल 5.43 लाख में से 5.41 लाख से अधिक उचित दर दुकानों (एफपीएस) को स्वचालित कर दिया गया है।

**(ग):** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत प्रचालित की जाती है। केंद्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, आवंटन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के निर्दिष्ट डिपो तक इनके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आवंटन और वितरण, पात्र लाभार्थियों/परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना और उचित दर दुकानों (एफपीएस) की कार्यप्रप्रणाली का पर्यवेक्षण और निगरानी संबंधी प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की होती है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शिकायतों के लिए संपर्क और निवारण हेतु तथा अभीष्ट लाभार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1967/1800-राज्य श्रंखला नम्बर कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इस विभाग में जब भी किसी स्त्रोत/माध्यम से भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो जांच और उचित कार्रवाई के लिए उन्हे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को भेज दिया जाता है।

**(घ):** ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****